बैंक ऑफ़ इंडिया **प्रधान कार्यालय**	**मानव संसाधन विभाग** **औद्योगिक संबंध प्रभाग**
शाखा परिपत्र सं.:112/ 03	**विषय:** मानव संसाधन/2018-19/
उप-विषय: उपदान (ग्रैच्युटी)/	
संदर्भ: एचआर:आईआर:एमएसएस:	**दिनांक :** 07/04/2018

<u>समस्त शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र</u>

उपदान (गैच्युटी) का भुगतान
<u>उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन</u>

कृपया शाखा परिपत्र सं.104/34 दिनांक 14 जून 2010 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया था कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अंतर्गत देय उपदान की उच्चतम सीमा, दिनांक 24 मई, 2010 से प्रभावी होते हुए, रु.3,50,000/- से बढ़ाकर रु.10,00,000/- कर दी गई है।

2. अब हमें भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सूचित किया गया है कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 को संसद की मंजूरी द्वारा संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अनुरूप उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अंतर्गत देय उपदान की उच्चतम सीमा को 29 मार्च, 2018 से प्रभावी होते हुए, रु.10,00,000/- से बढ़ाकर रु.20,00,000/- तक किया गया है।

3. इस संबंध में अन्य सभी दिशा-निर्देशों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को देय उपदान का परिकलन उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के साथ-साथ अधिकारी सेवा अधिनियम/द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत समाहित नियमों के आधार पर की जाएगी और जो इन दोनों में से उच्चतर होगी वह राशि देय होगी। कृपया सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के उपदान दावे तदनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं।

4. उन कर्मचारियों के संबंध में, जो 29 मार्च, 2018 को या तत्पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनके दावे पहले ही प्रस्तुत/निस्तारित किये जा चुके है; के परिशोधित दावे, जहाँ भी लागू हो, आंचलिक प्राधिकारियों द्वारा भूतपूर्व कर्मचारियों के पहले से प्रस्तुत किये गये मूल आवेदन के आधार पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

5. कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु आपकी शाखा/कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/अधीनस्थ कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।

(मृत्युंजय कुमार गुप्ता)
महाप्रबंधक - मानव संसाधन

D:\CHHAYA_BACK_UP\chhaya\वर्ष 2018-19\Branch cir\hrd-pay of gratuity.docx

	Bank of India Head Office	Personnel Department, Industrial Relations Division.
Branch Circular No. : 112/03		Sub : Human Resources / 2018-19
Sub-subject :Gratuity /		
Ref : HR:IR:MSS:01		Date: 07\04\2018

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

Payment of Gratuity
Amendment to Payment of Gratuity Act, 1972

Please refer to Branch Circular No.104/34 dated 14th June, 2010 advising that the ceiling on gratuity payable under Section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972 has been raised from Rs.3,50,000/- to Rs.10,00,000/- with effect from 24th May, 2010.

02. We have now been advised by the Indian Banks' Association that the Payment of Gratuity Act, 1972 has since been amended by an Act of Parliament. In terms of this amendment, the ceiling on amount of gratuity payable under Section 4 of the Payment of Gratuity Act, 1972 has been raised from Rs.10,00,000/- to Rs.20,00,000/- with effect from 29th March, 2018.

03. All other guidelines in this regard remain unchanged. Needless to mention that gratuity payable to Officers and Award Staff shall be calculated as per Payment of Gratuity Act, 1972 as well as Gratuity Rules covered under Officers' Service Regulations / Bipartite Settlements and higher of the two amounts will be payable. Please ensure that gratuity claims of employees are submitted accordingly.

04. Where claims have already been put-up / settled in respect of employees retired on or after 29th March, 2018, revised claims, wherever applicable, may be submitted by the Zonal Authorities on the basis of original application already submitted by the ex-employees.

05. Please bring the contents of this Circular to the notice of all Officers / Award Staff working in your Branch / Office.

(M.K.Gupta)
General Manager - HR

d:\d drive backup\lm\circulars\br.circular.gratuityamendment2018.doc

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र. का. औद्योगिक संबंध IND. RELTN. DIVN. H.O. बांद्रा कुर्ला संकुल B. K. COMPLEX